

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2439

दिनांक 13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उत्तरपूर्व में कैंसर के अधिक मामलों की सूचना मिलना

†2439. श्री राजू बिष्ट:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में कैंसर के मामलों का ब्यौरा क्या है और प्रतिवर्ष राज्य-वार कितने मामले सामने आए हैं;
- (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों से रिपोर्ट किए गए विभिन्न प्रकार के कैंसर के मामलों की प्रकार-वार कुल संख्या कितनी है;
- (ग) क्या उत्तरपूर्वी राज्यों और हिमालयी क्षेत्रों में कैंसर के मामले विशेष रूप से अधिक हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) कैंसर के प्रमुख कारणों का मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अनुसंधान अध्ययनों का ब्यौरा क्या है और प्रमुख निष्कर्ष क्या है;
- (ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में विशेषकर दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में कैंसर का उपचार करने वाले अस्पतालों, जांच केन्द्रों और जन जागरूकता कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और
- (च) कैंसर रोगियों को अस्पतालों आने-जाने और उपचार की लागत के लिए प्रदान की जाने वाली वित्तीय योजनाओं और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय रोग सूचना एवं अनुसंधान केंद्र (एनसीडीआईआर) – राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (एनसीआरपी) के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में सभी प्रकार और स्थानों के कैंसर के अनुमानित मामलों की संख्या, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, **अनुलग्नक-1** में संलग्न है। एनसीडीआईआर – एनसीआरपी के अनुसार, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ क्षेत्रों में उच्च आयु समायोजित घटना दर (एएआईआर) देखी गई है।

(घ) आईसीएमआर अपने संस्थानों, विभिन्न परियोजनाओं और कैंसर कंसोर्टियम के माध्यम से कैंसर पर शोध कर रहा है। आईसीएमआर अपने केंद्र प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से पित्ताशय के कैंसर, स्तन कैंसर, फेफड़ों के कैंसर और पूर्वोत्तर में कैंसर के क्षेत्रों में अनुसंधान को वित्त पोषित कर रहा है।

(ङ) और (च) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत देश भर के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, मानव संसाधन विकास, स्क्रीनिंग, शीघ्र निदान, रेफरल, उपचार और स्वास्थ्य संवर्धन पर केंद्रित है।

एनपी-एनसीडी के तहत, देशभर में 770 जिला एनसीडी क्लिनिक, 364 जिला डे केयर कैंसर सेंटर (डीसीसीसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 6,410 एनसीडी क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए देशभर में 297 डे केयर कैंसर सेंटर (डीसीसीसी) स्थापित करने की मंजूरी दी गई है ताकि बुनियादी ढांचे के विकास को मरीजों की जरूरतों के अनुरूप बनाकर विकेंद्रीकृत कैंसर देखभाल को मजबूत किया जा सके।

एनएचएम के तहत और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के एक भाग के रूप में, देश में सामान्य गैर-संक्रामक रोगों (एनसीडी) जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और तीन सामान्य कैंसर (मुख का कैंसर, स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर) की रोकथाम, नियंत्रण और स्क्रीनिंग के लिए एक जनसंख्या-आधारित पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत, 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को इन तीन सामान्य कैंसरों की स्क्रीनिंग के लिए लक्षित किया गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में इन सामान्य कैंसरों की स्क्रीनिंग सेवा वितरण का एक अभिन्न अंग है।

विशिष्ट चिकित्सा कैंसर सुविधाओं को सुदृढ़ करने की योजना के तहत, पश्चिम बंगाल राज्य में 3 टीसीसीसी सहित देश भर में 19 राज्य कैंसर संस्थान (एससीआई) और 20 विशिष्ट चिकित्सा कैंसर केंद्र (टीसीसीसी) स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना सरकार द्वारा सुपर स्पेशलिटी कैंसर देखभाल प्रदान करने के लिए की गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, राष्ट्रीय निःशुल्क औषधि पहल और निःशुल्क निदान सेवाएं जन स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाओं और निदान सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं, जिससे जेब से होने वाला खर्च कम होता है। राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत जिला एवं उप-मंडल अस्पतालों में कैंसर रोधी दवाओं को आवश्यक औषधि सूची में शामिल किया गया है।

आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेवाई) के तहत कैंसर सहित प्रमुख गैर-संचारी रोगों का उपचार उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में माध्यमिक और विशिष्ट स्तर की चिकित्सा देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये की

सहायता राशि प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) और किफायती दवाएं और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) फार्मेशियां किफायती कैंसर दवाओं, स्टेंट और प्रत्यारोपण तक पहुंच में सुधार करती हैं, जिससे जेब से होने वाला खर्च कम होता है और दीर्घकालिक उपचार के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा मिलता है।

\*\*\*\*\*

| भारत में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में नए कैंसर मामलों की अनुमानित संख्या - सभी प्रकार के कैंसर स्थल |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| राज्य  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| जम्मू एवं कश्मीर   | 11683  | 11764  | 11869  | 11946  | 12024  |
| लद्दाख   | 260    | 261    | 262    | 262    | 262    |
| हिमाचल प्रदेश  | 7885   | 7924   | 7959   | 8001   | 8041   |
| पंजाब  | 23129  | 23276  | 23420  | 23573  | 23719  |
| चंडीगढ़  | 979    | 992    | 997    | 1006   | 1014   |
| उत्तराखंड  | 12172  | 12298  | 12420  | 12552  | 12678  |
| हरियाणा  | 31505  | 31896  | 32282  | 32671  | 33059  |
| दिल्ली   | 24878  | 25591  | 26328  | 27120  | 27935  |
| राजस्थान   | 80761  | 84041  | 87535  | 91208  | 92175  |
| उत्तर प्रदेश   | 235153 | 244583 | 254579 | 265167 | 267823 |
| बिहार  | 120159 | 121945 | 123731 | 125522 | 127306 |
| सिक्किम  | 565    | 573    | 583    | 597    | 607    |
| अरुणाचल प्रदेश   | 659    | 663    | 668    | 675    | 677    |
| नागालैंड   | 2240   | 2257   | 2268   | 2288   | 2314   |
| मणिपुर   | 2062   | 2146   | 2214   | 2300   | 2373   |
| मिजोरम   | 1894   | 1943   | 1991   | 2048   | 2093   |
| त्रिपुरा   | 3122   | 3253   | 3407   | 3557   | 3605   |
| मेघालय   | 2834   | 2918   | 3004   | 3105   | 3128   |
| असम  | 45365  | 47292  | 49349  | 51553  | 52027  |
| पश्चिम बंगाल   | 95586  | 96058  | 96529  | 97004  | 97472  |
| झारखंड   | 37571  | 38054  | 38539  | 39022  | 39507  |
| उड़ीसा   | 44572  | 44861  | 45148  | 45426  | 45714  |
| छत्तीसगढ़  | 30054  | 31289  | 32600  | 33988  | 34372  |
| मध्य प्रदेश  | 86126  | 89737  | 93560  | 97621  | 98759  |
| गुजरात   | 65609  | 67611  | 69687  | 71873  | 72759  |
| दमन  | 442    | 498    | 557    | 607    | 650    |
| दादरा और नगर हवेली   | 580    | 639    | 691    | 744    | 789    |
| महाराष्ट्र   | 116666 | 119687 | 122857 | 126173 | 127139 |
| तेलंगाना   | 42087  | 43786  | 45599  | 47522  | 47751  |
| आंध्र प्रदेश   | 58914  | 61212  | 63664  | 66268  | 66503  |
| कर्नाटक  | 74573  | 77710  | 81043  | 84585  | 85110  |
| गोवा   | 1463   | 1495   | 1535   | 1571   | 1581   |
| लक्षद्वीप  | 67     | 71     | 77     | 84     | 84     |
| केरल   | 76384  | 80042  | 83945  | 88118  | 88471  |
| तमिलनाडु   | 81396  | 85215  | 89314  | 93731  | 95100  |

|                                 |                |                |                |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| पुदुचेरी                        | 1771           | 1879           | 1995           | 2112           | 2158           |
| अंडमान और निकोबार<br>द्वीप समूह | 445            | 459            | 480            | 499            | 499            |
| <b>भारत</b>                     | <b>1421611</b> | <b>1465919</b> | <b>1512686</b> | <b>1562099</b> | <b>1577278</b> |